भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 847617

ट्रस्ट का नाम : राम दुलार स्मारक ट्रस्ट प्रलेख

न्यास विलेख (Instrument of trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 24/3/14 को आजमगढ़ मे **डा० भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व० राम दुलार सिंह निवासी ग्राम-जोतपहाड़, पो०-चिरैयाकोट, विकास खण्ड-रानीपुर,** जिला-मऊ उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया। जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रूपया ५०००/(पांच हजार रूपये मात्र) की राशि है जिसे वह पुरूषार्थ एवं समाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। क्योकि यह ट्रस्ट **राम दुलार स्मारक ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे संक्षिप्त मे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतो से दान, उपकरण, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों की ओर बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो मे प्रभावी रुप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक व अपनी इच्छा के अनुकूल ५०००/रू० (पांच हजार रूपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

क्योकि वर्तमान मे इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **निवासी ग्राम-जोतपहाड़, पो०-चिरैयाकोट, विकास खण्ड-रानीपुर,** जिला-मऊ उ०प्र० रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय **ग्राम-जोत पहाड़, पो०-चिरैयाकोट, विकास खण्ड-रानीपुर** जिला-मऊ उ०प्र० होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

भानुप्रताप सिंह

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 847618

ट्रस्ट का नाम : राम दुलार स्मारक ट्रस्ट प्रलेख

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट १८८२ के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य :-ट्रस्ट निम्न उद्देश्यो की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

१. बिना लिंग भेट किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, बी०एड०, बी०टी०सी० प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालयो, वाचनालयो, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयो, बृद्धा आश्रमो, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रवासो, कम्प्यूटर केन्द्रो, निराश्रितो केन्द्रो सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकास केन्द्रो, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रो की आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदो विभागो, प्रतिष्ठानो, संस्थाओं, शासन आदि में उन्हे मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

२. समाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय तथा मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक कालेज, नर्स ट्रेनिंग कालेज, आई०टी०आई० कालेज, फार्मेसी, फिजियोथिरैपी आदि संस्थानाओं की संस्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापन, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस, की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टेक्निशियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि कर सकना।

३. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयो/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजो का अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट मे ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना समायोजित कर सके।

४. पुस्तक, पुस्तिकाये, पत्र एवं पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित/ मुद्रित/सम्पादित करना एवं उसके वितरित एवं विक्रित कर सकना।

२. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियो को संचालन करना।

३. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओ का संचालन करना।

४. कृर्षि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कंटाय रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।

अनु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 847619

५. उधानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

६. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

७. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

८. कृषि सम्बन्धित आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना

९. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नावार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागो के कार्यक्रम का संचालन करना।

११. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिकाओ, समाचार पत्रो इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

१२. अंधे, गुंगें, बहरे, विकलांग, असहाय लोगो के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

१३. विभिन्न विषयो एवं पाठ्यक्रमो यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयो का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

१४. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं मे छात्र छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

१५. पुस्तको साहित्य, पत्रो, पाठ्यक्रमो आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन मुद्रण वितरण आदि का संचालन करना।

१६. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम अधिवेशन, गोष्ठीय सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठके, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम, आदि आयोजित कराना।

अनुप्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 847620

१७. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

१८. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाईटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयो, महाविद्यालयो, मेडिकल कालेजो, इन्जीनियरिंग कालेजो को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट द्वारा समायोजित करना ।

१९. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय संगठनो, संस्थाओं व्यक्तियो से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

२०. आयुर्वेदिक औषधियो का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।

२१. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।

२२. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

२३ एड्स के बारे मे जन जागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।

२४. पुस्तक पुस्तिकायें, पत्र, पत्रिकायें, समाचार पत्र, आदि को प्रकाशित सम्पादित वितरित एवं विक्रय कर सकना।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BS 847621

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

२५. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

२६. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा ततविधिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।

२७. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैये सामाजिक दायित्व के विषय पर जन चेतना, जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

२८. धार्मिक स्थलो को निर्माण एवं जीर्णोधार कर सकना।

२९. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का अयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

३०. विभिन्न आयोजनो एवं कारणों हेतु छात्रवृति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

३१. विभिन्न संस्थाओ/विद्यालयो/महाविद्यालयो/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजो, प्रतिष्ठानो के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

३२. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा मे वृद्धि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य मे प्रयोग करना।

३३. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथां संभव अपनी सेवाएं वस्तुए लागत मूल्य पर ही देने का जनहित मे सड़क, खडन्जा, तालाबो का निर्माण मछली पालना, पशु पालन आदि का प्रचार कर सकना।

३४. ट्रस्ट केबल वित्तीय लाभ के लिये ही कार्य नही करेगा। जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

भानुप्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 847622

३५. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर मे ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

३६. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लिनिक का निर्माण करना।

३७ किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना फल एवं औषधि खेती के विषय मे जानकारी देना उवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना।

३८ ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिये ही कार्य नहीं करेगा, बल्कि जन कल्याण की भावना शैक्षणिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

३६. ट्रस्ट विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिये भारतीय संविधान मे निहित धारा २६ एवं ३० के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना उनके भलाई के लिये कर सकेगा।

४०. ट्रस्ट विशेषकर समाज की गरीब तबके के लिये जनसहयोग से उनके विकास हेतु कार्य करेगा तथा समय-समय पर सरकार द्वारा प्राप्त योजनाओं को भी प्राप्त कर सकेगा ।

<u>प्रारम्भिक उपबन्ध :-</u>

१. वर्तमान मे ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से 24/03/2014 जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

२. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मे मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष **डा० भानु प्रताप सिंह** द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो **डा० भानु प्रताप सिंह** के लड़के बालिग न हो तो उनकी पत्नी **श्रीमती अनीता सिंह** इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष होगी। जब तक लड़के कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

३. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियो को स्थानान्तरित कर सकते है।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BS 873241

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

४. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

५. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिये कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध मे की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

६. यह कि भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

७. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

८. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 859245

(४) बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

१. डा० भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व० राम दुलार सिंह निवासी ग्राम व पो०-जोतपहाड़, वि०ख० -रानीपुर, तह०-मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ **संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष**

२. श्रीमती अनीता सिंह पत्नी भानू प्रताप सिंह निवासिनी ,, ,, **न्यासी सदस्य**

३. डा० चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व० पारस नाथ सिंह निवासी-एस.ए., १/१०-स्टेट बैंक कालोनी, पाण्डेयपुर, जिला-वाराणसी **न्यासी सदस्य**

४. श्रीकृष्ण गोपाल सोमवंशी पुत्र स्व० सुदामा शाही निवासी-ग्राम व पो० कटिहारी, तह०-घोसी जिला-मऊ उ०प्र० **न्यासी सदस्य**

५. राणा प्रताप सिंह पुत्र स्व० राम दुलार सिंह निवासी-ग्राम व पो०-जोतपहाड़, वि०ख० -रानीपुर, तह०-मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ **न्यासी सदस्य**

६. उदय प्रताप सिंह पुत्र स्व० राम दुलार सिंह निवासी-ग्राम व पो०-जोतपहाड़, वि०ख० -रानीपुर, तह०-मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ **न्यासी सदस्य**

नियमावली-

१. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयो पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमे कि अधिकतम २१ सदस्य होगे।

२. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्यवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

३. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्क्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 678050

४. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(५) <u>अध्यक्ष/मैनेजिग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं</u> :-

यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वहॉ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

२. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं अपनी प्राप्त आय से ही आय का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायित्व होगा।

३. <u>कार्यक्षेत्र</u> :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र/सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व की किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष की सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय कर सकता है।

४. <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार</u> :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय मे हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापो मे किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सॅम्बन्धित पक्षो को अंन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 678051

(८) **सचिव/उप सचिव की नियुक्ति** :-

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख भाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पढ़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवो की नियुक्ति कर सकेगा।

(२) यह कि सचिव/उप सचिव के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

(३) यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसार पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्व प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(६) **उपाध्यक्ष की नियुक्ति** :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने व देखाभाल करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।

२. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य सामाजिक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगे।

३ यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों की मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसार पर्यन्त कार्य करेगे। कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्व प्रशासनिक अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियॉ कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकता है।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 678052

(१०) **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य** :-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यो के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगे :-

(क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायित्व ठीक ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक २५/३/१५ से मान्य होगा।

(११) **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य** :-

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना। परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता है।

(१२) **सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य** :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सुविधा के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

१. ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

२. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना

३. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पद मुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकना।

४. विभिन्न कार्यकलापो उद्देश्यो को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो/विभागो केन्द्रो/संस्थाओं/ उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजको/निर्देशको पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

भानुप्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 678053

५. ट्रस्ट/ संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु निर्णायक नियुक्ति कर सकनां।

६ एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति मे उनका कार्य विभाजन कर सकनां।

७ प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रशासन/वितरण/ विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करनां

८ जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(१३) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

१ सचिव की अनुपस्थिति मे उनके पद अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

२. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारो कार्यो का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

३. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यो का पालन करना।

(१४) बैक एकाउण्ट :-

१. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक मे खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

२. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैक खाता खोलना एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत बैक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

भानुप्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 678054

१५. विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है, या उसके विरूद्व कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयो मे पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(१६) सम्पत्ति सम्बन्धी :-

१. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्ब्रन्ध में व सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

२. ट्रस्ट की ओर से चल/सम्पत्ति के सम्बन्ध मे ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेखविलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

३. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

४. ट्रस्ट्चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है ले सकता है, अथवा दे सकता है।

५. ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार, आग्रह, भेट सम्मन पुरस्कार स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

६. ट्रस्ट पक्ष को कही भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है, किसी भी संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना मे धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत सत्यमेव जयते INDIA TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 32AC 895367

७. चल/अचल सम्पत्ति को प्रतिभूति भाडा, क्रय अनुज्ञाप्ति बन्धक पारित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है, ले सकता है।

१७ विशेष :-

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/ईकाई /कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है। परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट **राम दुलार स्मारक ट्रस्ट** के उदेश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगे।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानो को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्रविष्टियों के होते हुये भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 32AC 895368

अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है। **राम दुलार स्मारक ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमे सन्नहित **राम दुलार स्मारक ट्रस्ट** के उद्‌देश्य एवं नियमावली एतद्‌ द्वारा अधिनियम अनुमोदित पारित स्वीकृत अनुमोदित एवं तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है कि उक्त न्यास विलेख पढकर एवं समझकर प्रभाव में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति मे हस्ताक्षर बनाया गया।

भानु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 895369

साक्षीगण :- उमाशंकर सिंह S/o स्व. श्री

नाम :- शिवप्रसाद सिंह

पता :- ग्रा. पो० - सेमेंदा, आजमगढ़

नाम :- Akash Singh S/o Sri Uday Pratap Singh

पता :- Vill+Post- Chiraiyakot - Mau.

दिनांक 24/03/2014

श्री भानू प्रताप सिंह
(संस्थापक/ट्रस्टी/अध्यक्ष
राम दुलार स्मारक ट्रस्ट

भानु प्रताप सिंह

मसविदाकर्ता

बजरंग मिश्र

बजरंग मिश्रा
(एडवोकेट)
सिविल कोर्ट, आजमगढ़

2.44 10/-36

3/3/115

[illegible] 163

[illegible]

बही नं० IV जिल्द 53 के पृष्ठ 349 से 380 नं० 05 पर आज दिनांक 24.2.2014 ई० को रजिस्ट्री की गई।

उपनिबन्धक
मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ

दफ्तर सब रजिस्ट्रार मुहम्मदाबाद गोहना जिला-मऊ
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश